संख्या- 9/2023/DFA/ 515878 /38-7099/940/2019

प्रेषक,

सुखलाल भारती,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 04 अगस्त, 2023

विषयः- ग्रामों में जलभराव की समस्या के निदान हेतु नाली एवं निकास हेतु आंतरिक सड़क निर्माण के संबंध में।

महोदय,

कृपया ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या-30/2018/2006/38-7-2018- 38 नरेगा/2018,दिनांक 10-10-2018 एवं तत्क्रम में पंचायती राज अनुभाग-3 के पत्र संख्या-1896/33-3-2019-68/2019,दिनांक 14-08-2019 एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास के पत्र संख्या-मनरेगा/पत्रा0सं0-519/1763/2019 दिनांक 28-08-2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत मनरेगा एवं राज्य वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त/14 वां वित्त आयोग की धनराशि को अभिसरण कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना के अनुरूप कार्यस्थलों का चिन्हांकन करके आवश्यकतानुसार पक्का खण्डन्जा/नाली निर्माण कार्य अभियान चलाकर कराये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- अवगत कराना है कि जल भराव के पानी की निकासी हेतु नाली एवं पर्याप्त सड़कों का न होना ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य समस्या है। वर्षा ऋतु में यह समस्या और गंभीर हो जाती है, जिससे ग्रामीणों को बहुत असुविधा होती है। ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त आंतरिक गलियां उपलब्ध हो और जल भराव /जल प्लावक की स्थिति बिल्कुल भी न हो, के संबंध में व्यवस्था की जानी है।

मनरेगा गाइडलाइन्स में उक्त समस्या के निदान हेतु निम्न प्राविधान किये गये हैं-

मनरेगा आपरेशनल गाइडलाइन 2013 के प्रस्तर-7.1.3- Rural Connectivity to provide all weather access, including culverts and roads within a village, wherever necessary.

मास्टर सर्कुलर 2022-23 के प्रस्तर-7.7 के बिन्दु-जी में ग्रामीण अवस्थापना के अन्तर्गत ग्रामीण संयोजकता -All weather rural connectivity(built to non-PMGSY road standards).

मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमन्य 266 कार्यों की सूची क्रमांक-65-Drainage of Community waterlogged land.

अत: उक्त दोनों बिन्दुओं पर भी मनरेगा गाइडलाइन के अनुसार कार्य होना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि मनरेगा में श्रम-सामग्री अनुपात 60:40 प्राविधानित होने के कारण सामग्री मद सीमित ही रहेगा। इस सामग्री मद में नागरिक सुविधाओं के लिए आंतरिक सड़कों एवं जल प्रवाह हेतु नालियों का बनाया जाना प्राथमिकता पर वांछनीय है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गांव की नाली और आंतरिक सड़कों का आंकलन कर यह सुनिश्चित करें कि सामग्री का ज्यादा से ज्यादा उपयोग इसी मद में हो और किसी भी दशा में ग्रामों में जल भराव या आंतरिक सड़कों का अभाव न होने पाये।

भवदीय,

Signed by सुखलाल भारती
Date: 04-08-2023 12:56:10
Reason: Approved

(सुखलाल भारती)
विशेष सचिव।

संख्या- 9 /2023/DFA/ 515878 /38-7099(99)/30/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, कृषि एवं बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
2. आयुक्त,ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3. अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

I/362573/2023

4. निदेशक,पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0
7. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
8. समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त(श्रम रोजगार), उ0प्र0।
9. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,उ0प्र0।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुखलाल भारती)
विशेष सचिव।

552672/2019/ -7

5/227

नागी/श्री प्रदीप
09/X/2018

संख्या:- 30 /2018/ 2006 /अड़तीस-7-2018-38नरेगा/2018

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक: 10 अक्टूबर, 2018

विषय:- आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत मनरेगा एवं राज्य वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त/14वां वित्त आयोग की धनराशि को अभिसरण(convergence) कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, राज्य वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त/14वां वित्त आयोग की धनराशि को अभिसरण(convergence) कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना के अनुरूप कार्यस्थलों का चिन्हांकन करके आवश्यकतानुसार पक्का खडन्जा/नाली निर्माण कार्य अभियान चलाकर कराया जाना प्रस्तावित है।

2- इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या-के-11033/2/2016-मनरेगा-v दिनांक 12-04-2016 के प्रस्तर-2(ix) (छायाप्रति संलग्न) में चतुर्थ राज्य वित्त/14वां वित्त आयोग एवं मनरेगा के अनुमन्य कार्यों के विषय में निम्न व्यवस्था उल्लिखित है:-

As far as possible, for the items permissible both under MGNREGS and FFC grants, the labour component should be met from MGNREGS and the meterial component from FFC grant. In order to avoid complications due to mixing of funds, it is suggested that such works may be done as two parts of the same project. For example, the formation of a road could be taken up under MGNREGS and its paving or black topping could be done utilizing FFC grant.

2- उपर्युक्त के अनुक्रम में यह भी अवगत कराना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के राजपत्र दिनांक 03-01-2014 में मनरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची-1 के बिन्दु - 1 प्रवर्ग-ई के उप बिन्दु (II) के अन्तर्गत असम्बद्ध ग्रामों को और विद्यमान पक्का सडक नेटवर्क के लिए अभिज्ञात ग्रामीण उत्पादन केन्द्रों के जोडने के लिए सभी मौसमों में ग्रामीण सडक संयोजकता उपलब्ध कराना, और ग्राम में पक्की आंतरिक सडकें या गलियों, जिनके अन्तर्गत पार्श्विक नालियां और पुलियां भी हैं, के सन्निर्माण को अनुमन्य कार्य श्रेणी में रखा गया है। मनरेगा एवं राज्य वित्त/ चतुर्थ राज्य वित्त/ 14वां वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत कार्यों का चयन व प्राथमिकता का निर्धारण ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा।

3- अत: आपसे अपेक्षित है कि राज्य वित्त/ चतुर्थ राज्य वित्त/ 14वां वित्त आयोग एवं मनरेगा योजनान्तर्गत निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप होने की स्थिति तक आपरेशन

552672/2019/ -7

कायाकल्प के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम सभाओं में पक्का खडन्जा/नाली निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से मनरेगा की धनराशि को राज्य वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त/14वां वित्त आयोग की धनराशि से अभिसरण(convergence) कर कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव।

संख्या- 30 /2018/2006(1)/अड़तीस-7-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
2- सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
6- अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
10-समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11-गार्ड बुक।

आज्ञा से

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

O/C

2475084/2023/ -7

संख्या–1896 /33–3–2019–68 / 2019

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज,अनुभाग–3

लखनऊः दिनांक–14 अगस्त, 2019

विषयः– ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में पंचायतीराज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, कृषि विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के अभियान वर्ष 2019–20 के मार्ग निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–53/2018/1706/33–3–2018–68/2018, दिनांक–20.06.2018 द्वारा वर्ष 2019–20 में ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में पंचायतीराज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, कृषि विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2– उक्त शासनादेश में आपरेशन कायाकल्प हेतु प्राप्त निर्देश के क्रम में ग्राम स्तर पर सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े विभागों के भवन यथा प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र, ए.एन.एम. सेन्टर, ग्राम सचिवालय/ पंचायत घर, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना एवं राज्य वित्त आयोग के मध्य कार्य अभिसरण कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना के अनुरुप कार्यस्थलों का चिन्हांकन करके आवश्यकतानुसार खड़ंजा/ इण्टर–लॉकिंग/सी.सी.रोड निर्माण कार्य, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाते हुये पठन–पाठन की गुणवत्ता में सुधार किये जाने, कृषि विभाग द्वारा भूमि संरक्षण एवं ग्राम्य विकास के समन्वय से प्राकृतिक नालों, छोटी नदियों व पोखरों के जीर्णोद्धार की कार्ययोजना तैयार कर कृषि योग्य भूमि को संरक्षित व उपयोगी बनाया जाने हेतु मार्ग–निर्देश जारी किये गये है।

उक्त के परिपालन में वर्ष 2019–20 में ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों को ग्राम पंचायत स्तर पर कराये जाने वाले विकास कार्य हेतु निम्नवत् मार्ग–निर्देश निर्गत किए जाते हैं:–

(1) वित्तीय वर्ष 2018–19 में ऑपरेशन कायाकल्प की बेवसाइट के अनुसार कुल 2,77,999 कार्यों के सापेक्ष 1,11,005 की पूर्ति की गयी है। ग्राम पंचायत में स्थित सार्वजनिक भवनों (पंचायत भवन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र) के अनुरक्षण से सम्बन्धित सिविल कार्य (टाइल्स/ मरम्मत/रंगाई–पुताई आदि) शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जन कल्याण से जुड़ी मूल–भूत सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु ग्राम सभा बैठक कर ग्राम में पूर्व से निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तियों के मरम्मत तथा अनुरक्षण के कार्य ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित कर पूर्ण कराये जाने है।

(2) शासनादेश संख्या–858/33–3–2019–68/2018, दिनांक–18.04.2019 द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत पुनर्निर्माण करायी गयी परिसम्पत्तियों की जियो टैगिंग मोबाइल ऐप के माध्यम से किये जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत की परिसम्पत्तियों का ग्राम पंचायतवार लक्ष्य के सापेक्ष कार्य पूर्ण कराते

हुए कार्यों का जियो टैगिंग कराना सुनिश्चित किया जायेगा। निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को जियो टैगिंग हेतु यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रत्येक पक्ष कराये गये कार्यों की प्रगति सूचना ऑपरेशन कायाकल्प की वेबसाइट के निर्धारित प्रपत्र पर अपलोड कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) **बेसिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग** द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का लक्ष्य निर्धारित करते हुए सूचना ऑपरेशन कायाकल्प की बेवसाइट operationkayakalp.up.gov.in के निर्धारित प्रपत्रों पर पाक्षिक रुप से अंकित किया जायेगा। सम्बन्धित विभागों की प्रगति की सूचना नोडल विभाग पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। ऑपरेशन कायाकल्प के कार्यों के नियमित अनुश्रवण हेतु जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति प्रत्येक माह बैठक कर योजना की प्रगति, गुणवत्ता, सफल क्रियान्वयन, लक्ष्य पूर्णता एवं रिपोर्टिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

अतः उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 में ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों को चिन्हित कर पूर्ण कराने का अभियान चलाते हुए निरन्तर समीक्षा करते हुए operation kayakalp.up.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना अपलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक:–   तदैव।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग तथा सूचना जनसंपर्क विभाग, उ0प्र0, शासन।
3. आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

PallAkrasati/CO

2473980/2023/ -7

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: मनरेगा/पत्रा0सं0-519/1763/2019, दिनांक: 28 अगस्त, 2019

विषय- मनरेगा, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं 14वां वित्त आयोग के मध्य अभिसरण करते हुये प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबध में।

महोदय,

मनरेगा, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं 14वां वित्त आयोग के अन्तर्गत अभिसरण करते हुये प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या-43/2017/966/33-3-2017-46/2015 दिनांक 16 मई, 2017 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या-1250 दिनांक 09 जून, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मनरेगा, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं 14वां वित्त आयोग के अन्तर्गत अभिसरण करते हुये प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गये थे।

उक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या53/2018/1706/33-3-2018-68/2018 दिनांक 20 जून, 2018 के द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में पंचायतीराज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, कृषि विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को अभियान के रूप में क्रियान्वित करते हुए समस्त जनपदों को निर्देश निर्गत किए गये थे।

शासन स्तर से दिए गये निर्देशों के उपरान्त भी मनरेगा, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं 14वां वित्त आयोग के अन्तर्गत अभिसरण करने की कार्यवाही जनपदों द्वारा नहीं की जा रही है, जो कि शासन स्तर से निर्गत दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।

अपेक्षित है कि मनरेगा, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं 14वां वित्त आयोग के अन्तर्गत अभिसरण न किए जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए कि किन कारणों से उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 10 सितम्बर, 2019 तक आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही मनरेगा, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं 14वां वित्त आयोग के अन्तर्गत अभिसरण करते हुए की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप पर सूचना, राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ को ई-मेल के माध्यम से दिनांक 10 सितम्बर, 2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न- प्रारूप

भवदीय,

(के0 रविन्द्र नायक)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास उ0प्र0।

पत्रांक : मनरेगा/पत्रा0सं0- / /2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।
3. समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त(श्रम रोजगार), उ0प्र0।

आयुक्त,
ग्राम्य विकास उ0प्र0।